

शोध को फल दे.

२८/२२

अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय थाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 17/8/22 को पेश हो।

17/8/22

अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नोटिस किया गया। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 197/1 नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निष्काशित होकर नवंबर से काम होकर दायित्व दिफेंडर को

Not Pwd



17/8/2022



उपसचिव (राजस्व) श्री कटणपुर